

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश

संख्या: सी-76/ई-1.

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक: 22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक: 24.11.2017 में निहित प्राविधानों एवं कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख कालम-4 पर अंकित खण्ड/कार्यालय का द्वैत कार्यभार शासन स्तर से नियमित पदस्थापना होने तक, नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं-

क्र० सं०	अधिशासी अभियन्ता का नाम /जन्ततिथि/गृह जनपद सर्वश्री:-	वर्तमान तैनाती	द्वैत कार्यभार
1	2	3	4
1.	अरविन्द कुमार पाण्डेय 02.07.84/बलिया	ड्रेनेज खण्ड, फतेहपुर एवं केन नहर प्रखण्ड, बांदा	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ सिंचाई खण्ड, फतेहपुर का अतिरिक्त प्रभार
2.	नागेन्द्र सिंह कटारिया 14.10.71/मुजफ्फरनगर	सिंचाई निर्माण खण्ड, ओखला	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ परियोजना भण्डार खण्ड, कानपुर का अतिरिक्त प्रभार
3.	रवि प्रकाश सिंह 01.01.70/मैनपुरी	सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड मुरादाबाद का अतिरिक्त प्रभार
4.	नितिन कुमार 10.12.79/पीलीभीत	सिंचाई निर्माण खण्ड-पंचम, झांसी	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड झांसी का अतिरिक्त प्रभार
5.	सजय कुमार 20.01.80/वाराणसी	सूचना प्रणाली सगठन, लखनऊ	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ का अतिरिक्त प्रभार


इस निमित्त उपरोक्त अधिशासी अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनिल कुमार
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या: सी-76/ई-1/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22-12-15 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24-11-2017 के अन्तर्गत उक्त किये गये आदेश का औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।


14/03/2024
(दीपक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)